ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. NO.- 178-181**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा की स्थिति

शशिप्रभा गौतम

असि0 प्रो0– समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, जक्खिनी–वाराणसी, (उ0प्र0) भारत

Received-02.08.2022, Revised-08.08.2022, Accepted-11.08.2022 **E-mail: shashi.socio@gmail.com**

सारांश:– ***शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का प्रमुख आधार स्तम्भ है। कोई भी राष्ट्र या समाज बिना शिक्षा के विकसित नही हो सकता। शिक्षा पढ़ने और पढ़ाने के लिए ज्ञान प्राप्त करने और प्रदान कराने का तरीका, सजगतापूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है और अपने सीखे हुए ज्ञान को अपने जीवन के अनुभवों पर लागू करता है। शिक्षा व्यक्ति में निहीत सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत कर उसे एक बेहतर और व्यावहारिक प्रशिक्षण के तैयार करने के साथ ही उसे आसपास के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को जानने और उसके साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। नारी शिक्षा के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जैसा कि आचार्य रोहित लिखते है 'यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते है तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते है और एक नारी को शिक्षित करते है तो पूरे परिवार को शिक्षित करते है।' नारी शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता है जो उसके जीवन में पूर्णता की अनुभूति जगा सके, सबके बीच समानता लाए, व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मनिर्भरता लाए तथा सही विचार और निर्णय लेने की क्षमता पैदा कर सकें।***

कुंजीभूत शब्द– सजगतापूर्ण, सांस्कृतिक मूल्यों, जागृत, व्यावहारिक प्रशिक्षण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, शिक्षित।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था सदियों से लोचशील एवं कठोर जाति व्यवस्था से ग्रसित रहा है जहा 'जाति' शिक्षा, काम, एवं व्यवसाय का एक मुख्य निर्धारक कारक रहा है। भारत में आबादी का एक बढ़ा हिस्सा अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित है जो खुद को शिक्षा से अलग रखकर अपनी क्षमता का उपयोग उच्च आय उपज एवं शक्ति प्रदत्त व्यवसायों के लिए किया (शाह 1960)। वास्तव में वंचित आबादी से सामाजिक एवं शैक्षणिक समस्याएं परस्पर संबंधित तथा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यद्यपि शिक्षा उनके विकास का सबसे अच्छा साधन साबित हुआ है, इसके बावजूद भी शिक्षा की पहुच से आबादी का एक बढ़ा हिस्सा वंचित है जिसमे सर्वाधिक सहभागी है अनुसूचित जाति कि महिलाएं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शासन द्वारा जहा अनुसूचित जातियों के लिए राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में विविध प्रकार के संरक्षण एवं अधिकारों का प्रावधान किया गया वही शैक्षणिक क्षेत्र में भी उनके अभ्युत्थान हेतु शिक्षा प्राप्ति को सुलभ बनाना और और शिक्षा का प्रसार करना राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बन गया। भारतीय संविधान में सभी के लिए विशेषरुप से समाज के कमजोर वर्गो में शिक्षा को बढावा देने हेतु संवैधानिक उपबन्ध किये गये।

अनुच्छेद 15(2)– राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी भारतीय नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूलवंश, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश से वंचित नही किया जा सकता।

अनुच्छेद 15(4)– यदि राज्य द्वारा अनुसूचित जाति/जनजातियों के सदस्यों के लिए विशेष उपबंध किया जाता है तो अन्य नागरिक ऐसे उपबंधों की विधिमान्यता पर आक्षेप इस आधार पर नही कर सकते कि वे उनके विरुद्ध विभेदकारी है।

अनुच्छेद 29(1)–प्रत्येक राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिको के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपी या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 46–राज्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा एवं अर्थ सम्बंधी हितो की विशेष सावधनी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

अनुच्छेद 146– केन्द्र व राज्यों में पिछड़े वर्गो के लिए समाज कल्याण एवं अशासकीय संस्थाओं के खोलने पर विशेष बल देने का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ–साथ अनुसूचित जाति की महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता को समाप्त करने हेतु नीति निर्माताओं द्वारा अनिवार्य शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया इस हेतु 4 अगस्त 2009 को बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये सकारात्मक परिणामों के फलस्वरुप महिला शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। समकालीन प्रवृत्ति का सर्वाधिक उत्साहजनक भाग यह है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा का ग्राफ निरन्तर बढ़ता जा रहा है परन्तु यह प्रगति सम्पुर्ण जनसंख्या के अनुपात में संतुलित नही है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

अनुसूचित जाति महिलाओं में साक्षरता दर (प्रतिशत में)

वर्ष	लिंग	अनुसूचित जातियां	अखिल भारत	अन्तर
2001	पुरुष	66.64	75.26	8.62
	महिलाएं	41.90	53.67	11.77
	योग	54.69	64.83	10.14
2011	पुरुष	75.50	82.14	6.64
	महिलाएं	56.50	65.46	8.96
	योग	66.10	74.04	7.94

(स्रोत– भारत की जनगणना , 2001, 2011)

तलिका से स्पष्ट होता है कि पिछले दशक में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर में 17.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि भारत में कुल साक्षरता दर में 9.04 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई । लैंगिक विश्लेषण के रुप में अनुसूचित जाति की महिलाओ कि साक्षरता दर 14.6 प्रतिशत बढी जबकि इसकी तुलना में अखिल भारतीय औसत (महिला) 11.8 प्रतिशत थी। यह अनुसूचित जाति की महिलाओं में साक्षरता की सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके बावजूद भी अनुसूचित जाति की साक्षरता दर अखिल भारतीय औसत से काफी (8.96 प्रतिशत) पीछे है। और यह असमानता विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पृष्टभूमि में बदलता हुआ दिखाई पड़ता है।

ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर अनुसूचित जाति महिलाओं में साक्षरता दर(प्रतिशत में)

वर्ष	ग्रामीण			नगरीय			कुल		
	महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल
2001	37.84	63.66	51.16	57.49	77.93	68.12	41.90	66.64	54.69
2011	52.60	72.60	62.80	68.60	83.30	76.20	56.50	75.20	66.10
वृद्धि :	39	14	23	19	7	12	35	13	21

(स्रोत–Census of India, Office of Registrar General, India)

भारतीय समाज में चाहे अनचाहे आज भी पुत्री की तुलना में पुत्र की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। गरीबी और बाल विवाह के साथ ही कुछ सामाजिक आर्थिक कारको से लड़कियों को घर और स्कूल दोनों कामों में सामंजस्य करना पड़ता है। इन प्रवृत्तियों के साथ अनुसूचित जाति कि लड़कियों को लैंगिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव और गरीबी के तिहरे संकठ को भी झेलना पड़ता है, जो उनकी शैक्षणिक प्रगति में मुख्य बाधक बनता है। बावजूद इसके विगत दशको में स्कूली शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव तथा सरकार द्वारा चलाये जा रहे शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरुप स्कूलो में अनुसूचित जाति की लड़कियों के नामांकन दर में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है–

अनुसूचित जाति की लड़कियों में नामांकन दर

(लाख में)

वर्ष	प्राथमिक		मीडिल		उच्चतर	
	सामान्य	अनु0 जाति	सामान्य	अनु0 जाति	सामान्य	अनु0 जाति
1980–81	235	38	68	6	34	12
2001–02	503	92	187	29	121	14
2005–2006	616	113	233	38	161	22

[Source- national sample survey]

उपरोक्त ऑकडों से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति कि लड़कियों के नामांकन दर में दशक दर दशक प्रगति हो रही है। लेकिन शिक्षा का स्तर बढने के साथ ही कही अधिक तेजी से गिरावट भी देखने को मिल रहा है। विद्यालयों में अनियमित उपस्थिति, बीच में पढ़ाई छोड देना, अपनी पढ़ाई पूरी न कर पाने की समस्या भी अनुसूचित जाति कि महिलाओं शैक्षणिक असमानता उत्पन्न कर रही है

जहा प्राथमिक स्तर पर 1990–91 की तुलना में 2005–06 में लगभग 20 प्रतिशत की कमी देखने को मिल रही है वही सेकेन्ड्री स्तर पर यह आकड़ा मात्र 10 प्रतिशत के आसपास है। कमोवेश राष्ट्रीय स्तर पर भी लगभग यही स्थिति है। स्कूलों में नामांकन या ड्राप आउट से सम्बंधी ऑकड़े राष्ट्रीय स्तर के है। क्षेत्रीय स्तर पर इसमें और अधिक विविधता देखने को मिलती है। 1990–91 में स्कूल बीच में छोड़ देने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं की दर सम्पूर्ण भारत में जहॉ प्राथमिक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

स्तर पर 53.96 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर पर 73.24 प्रतिशत तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 83.38 प्रतिशत थी। वही आन्ध्रप्रदेश में क्रमशः 67.76 प्रतिशत 86.89 प्रतिशत, 88.63 प्रतिशत, बिहार में 72.52 प्रतिशत, 88.63 प्रतिशत, 93.15 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 57.41 प्रतिशत, 68.88 प्रतिशत, 84.58 प्रतिशत तो केरल में 5.04 प्रतिशत,7.83 प्रतिशत एवं 47.93 प्रतिशत था जो क्षेत्रीय आधार पर भारी भिन्नता को दर्शाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति की शैक्षणिक स्थिति और भी पिछड़ी हुई है–

उच्च शिक्षा में नामांकन

वर्ष	कुल नामांकन	अनुसूचित जाति	प्रतिशत
1978–79	2543449	180058	7.08
1995–96	7955811	1058514	13.30
2002–2003	9516773	1076996	11.32

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि 1978 में अनुसूचित जातियों में नामांकन दर कुल नामांकन का मात्र 7.08 प्रतिशत था वही दो दशक से अधिक कि अवधि के पश्चात भी वर्ष 2002–2003 में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस आधार कहा जा सकता है कि वर्तमान में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियो की प्रतिशतता बहुत असंतोषजनक है। इस संदर्भ में शाह 1960 ने ठीक ही कहा है 'उच्च शिक्षा अभी भी मुख्य रुप से उच्च जातियों के लिए ही खुला है'।

सिलेक्टेड एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स, 1998–99 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कि रिपोर्ट के अनुसार स्नातक स्तर पर जहॉ कुल 6809100 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ जिसमें अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों कि कुल संख्या 570130 अर्थात 8.37 प्रतिशत, स्नातकोत्तर स्तर पर कुल नामांकन संख्या 758000 थी जिसमें 60661 (8 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के विद्यार्थी थे, शोध कार्य, पी0एच0 डी0/डी0 फिल/डीएस0 सी0 में कुल नामांकन 68369 हुआ जिमें अनुसूचित की की कुल संख्या मात्र 1898 (2.77 प्रतिशत) थी। विगत दशको से केन्द्र/राज्य सरकारों के साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी उच्च शिक्षा में इनके औसत प्रतिशत की वृद्धि के निरन्तर प्रयास किए जा रहे है।

भारत के संविधान में प्रस्तावना, मूल अधिकार, तथा राज्य के नीति निदेशात्मक नियमों में समानता के नियम प्रतिष्ठापित है तथापि अनुसूचित जाति की महिलाओं में शैक्षणिक असमानता है जो सकारात्मक नही है इस हेतु अनुसूचित जाति कि महिलाओं कि शैक्षणिक परिस्थितियों में सुधार लाने, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने तथा लिंग समानता लाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान तक नारी शिक्षा के विकास हेतु अनेको कार्यक्रम, नीतियॉ एवं योजनाएं बनायी गयी तथा उनका संचालन भी किया जा रहा है। परन्तु इनका अनुभव सन्तोषजनक नही रहा है। विगत वर्षो में शिक्षा के विकास ,प्रचार और प्रसार पर अरबो खरबों की व्यय कि गयी अपार धनराशि, शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मियों की भारी भरकम फौज, पूरे देश में शैक्षिक प्रबन्ध तंत्र का फैला नेटवर्क, समय–समय पर सरकार द्वारा तय किये गये लक्ष्यों की लम्बी चौड़ी घोषणाएं और संचालित कि गयी विभिन्न योजनाओं का यद्यपि कुछ असर तो दिखाई दिया है। लेकिन अभी तक असली मकसद को पूरा करने में सफलता प्राप्त नही हो पायी है। इस संदर्भ में नरेन्द्र कुमार सिंह अपने शोध अध्ययन 'अनुसूचित जाति के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति : एक अध्ययन' में लिखते है कि सरकार द्वारा चलाई गया योजनायें मात्र कागजों पर चल रही है बालिका शिक्षा की प्रगति हेतु यह कार्य के रुप में पर्णित नही हो पा रही। प्राथमिक स्तर पर मध्याहान पोषाहार के नाम नामांकन संख्या में वृद्धि तो हुई है परन्तु उनमें गुणात्मक सुधार नाम मात्र भी नही आ रहा है। क्योकि जिस अनुपात में नामांकन संख्या में वृद्धि हो रही उस अनुपात में अध्यापको की नियुक्ति नही हो पा रही। विद्यालय स्तर पर अन्य जाति के छात्रों द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ जाति सम्बंधी भेदभाव किया जाना भी एक गम्भीर समस्या है जो ग्रामीण स्तर पर अधिक देखने को मिल रहा है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग छठवें वार्षिक रिर्पोट में कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के चौवन वर्ष बाद कुछ गम्भीर आत्मनिरीक्षण करने कि आवश्यकता है, विशेष रुप से सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में प्रंशसनीय सुधार हुआ है परन्तु निक्षरता और अभाव को पूरी तरह मिटाया नही जा सका है। पिछले पॉच दशकों में अनुसूचित जाति की महिलाओं कि भागीदारिता में सुधार हुआ है परन्तु सोपानात्मक सामाजिक व्यवस्था में असमान विकास का पता विभिन्न समुदायों के शैक्षणिक स्तरों के सूचको से मिलता रहता हैं। लगभग चालीस प्रतिशत जिलों में महिला साक्षरता तीस प्रतिशत से भी कम है। लगभग एक तिहाई बच्चे पांच साल की शिक्षा पूरी होने से पहले बीच में पढ़ाई बन्द कर देते है। अधिकतर सरकारी स्कूलों बिलली, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था नही है साथ ही अध्यापको की कमी से जूझ रहे है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

आजादी के बाद जो भी शिक्षा नीति बनाई गयी उन सब में स्त्री शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। परन्तु अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जाति महिलाओं की कमजोर शैक्षणिक स्थिति के कारणों पर पर्याप्त ध्यान नही दिया गया वर्तमान में भी दूरदराज के क्षेत्रों में फैले स्कूलों में मूलभूत संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध ही नही है। वर्ष 2010–11 के आकड़ों के अनुसार देश के दस में एक स्कूल में पीने के पानी का अभाव है, जबकि पॉच में मात्र दो स्कूलों में ही कार्यरत शौचालय है कक्षा की व्यवस्था तथा छात्रों व अध्यापकों के अनुपात तो और भी दयनीय है, शिक्षा के अधिकार का कानून के मानक को पूरा करने के लिए 12 लाख अध्यापको की जरूरत है। देश में एकल अध्यापक वाले विद्यालय हजारों कि संख्या में मौजूद है। केवल 25 प्रतिशत विद्याालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। गरीबी, बाल विवाह, अभिवावकों की निक्षरता, परम्परागत सामाजिक मानदंड एवं शिक्षकों का उपेक्षित व्यवहार ऐसे निराशाजनक वातवरण तैयार करते है जहा अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए शिक्षा का मार्ग अत्यन्त दुष्कर एवं जटिल हो जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Census of India, Office of Registrar General, India.
2. national sample survey.
3. Shah, B.V., "Inequality of Educational Opportunities", Economic and Political Weekly, August 20, 1960.
4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट।
5. नरेन्द्र कुमार सिंह (2000) 'अनुसूचित जाति के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति : एक अध्ययन' बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी।
6. एन0सी0एस0सी0एस0टी0 छटवीं वार्षिक रिर्पोट।
7. सिलेक्टेड एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स, 1998–99.
8. योजना सितम्बर 2013.
9. कुरूक्षेत्र सितम्बर 2013.

*****